web/o mail

राजस्थान के राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में तत्काल प्रकाशनार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा.IV/ 4735 जयपुर, दिनांकः 14/10/14

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (क) तथा नियम 61 एवं 62 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा. IV/5448 दिनांक 20.11.2009 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) मे दिनांक 20.11.2009 को प्रकाशन हुआ, के अतिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः**– (i) इस आदेश का नाम पंचायत समिति प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद प्रमुख/उप प्रमुख निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,

    (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

    (iii) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाऐं** :– इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

    (i) ''सविरोध निर्वाचन'' से पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होगा, है,

    (ii) "निर्वाचन" से पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख या उप प्रमुख के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

    (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;

    (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;

    (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;

    (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

14/10

(vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

(viii) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;

(ix) "उप खण्ड" से उस खण्ड का उप खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;

(x) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;

(xi) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;

(xii) "पद" से किसी पंचायत समिति के प्रधान या उप प्रधान अथवा जिला परिषद के प्रमुख या उप प्रमुख अभिप्रेत है; और

(xiii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

3. **निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन** :– निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी पद के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

4. **निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण** :– (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन** :–

(i) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. **कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा** :– कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये नियम 59 के

उप नियम (3) के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये निर्धारित तिथि व समय से पूर्व उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत, दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहॉ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहॉ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 जहॉ किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्ररूप 'क' में राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी</u> :– (क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवारों को उसी दल द्वारा खड़ा तभी माना जावेगा जबकि इस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र, को नियम–59 के उप नियम (5) के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–59 के उप नियम (7) के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहॉ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार का कोई नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड–12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. <u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u> :– यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जावेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

14/10